RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. **23/2026** **GCMS NO 2026/200**

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–
श्री किशोर कुमार/मोहनलाल निवासी पालीवालों का वास, तहसील पचपदरा, बालोतरा हाल प्रो. सुशीला किराणा स्टोर, पचपदरा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 20.05.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 29.03.2026 को श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स सुशीला किराणा स्टोर, पचपदरा पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री किशोर कुमार/मोहनलाल निवासी पालीवालों का वास, तहसील पचपदरा उपस्थित मिले। मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने तथा 2 घरेलु सिलेण्डर अवैध भण्डारण वक्त जांच पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	2403043	Indane	23.9	15.6	8.3
2.	268926	Indane	15.8	15.2	0.6
3	683839	Indane	30.0	15.8	14.2
4.	422615	Indane	17.5	15.5	2.0

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरूपयोग करने पर तथा एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर का रेगुलेटर मय

जिला कलक्टर
बालोतरा

पाईप व बासुरी, तीन रेगुलेटर बिना मानक को मौक पर उक्त को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर व बासुरी, रेगुलेटर पाईप को मैसर्स चौधरी गैस एजेन्सी के डिलीवरी श्री कैलाश सिंह पुत्र अचलाराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस तथा बासुरी व रेघुलेटर को राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।
4. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता तथा अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए तथा एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप व बासुरी, तीन रेगुलेटर बिना मानक पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स चौधरी गैस एजेन्सी के डिलीवरी श्री कैलाश सिंह पुत्र अचलाराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) " किसी सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक किसी भी घर को सिलेंडर में भरी हुई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस घर का व्यक्ति जिसके नाम पर कनेक्शन जारी किया गया है " व 4(ए) "किसी सिलेंडर को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से भरना या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में स्थानांतरित करना, जब तक कि मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो।" तथा 7 के 1(सी) " उसके पास भरा हुआ या खाली सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह वितरक या उपभोक्ता न हो।" का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम,

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा